नवल किशोर सिंह

बनाम

बिहार राज्य

04 अगस्त, 2004

344 एससीआर (2004) SUPP 3

जस्टिस के-जी- बालकृष्णन और डां- एआर लक्ष्मणन

दंड प्रक्रिया संहिता 1971

धारा 304-झगड़ें के दौरान एक अभियुक्त ने पीड़ित के पेट में भाला घोंपा-चोट लगने से पीडित की मृत्यु हुई-विचारण न्यायालय द्वारा 2 अभियुक्तों को धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया- उच्च न्यायालय द्वारा उनमें से एक को बरी किया गया तथा दूसरे को धारा 304 के तहत दोषसिद्ध किया गया। निर्णित, अभियोजन पक्ष की साक्ष्य यह साबित करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा मृतक को चोट पहुंचाई गयी-न्यायालय दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप करने हेतु इच्छुक नहीं।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 :

धारा 113-विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त का परीक्षण-अभियुक्त से केवल 3 प्रश्न पूछे गये-यह दलील दी गयी कि अभियुक्त से उचित रूप से परीक्षण करने में

गंभीर त्रुटि हुई है,-निर्णित, उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियुक्त से केवल एक प्रश्न में समस्त साक्ष्य पुछकर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रथा की निन्दा की है, अभियुक्त तर्कसंगत और बुद्धिमता से स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं हो सकता-विचारण न्यायालय को अभियुक्त को साक्ष्यों में प्रतिकुल परिस्थितियों को समझने का अवसर देने के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए-धारा 313 की परीक्षा एक निष्पक्ष सुनवाई का हिस्सा है और इसे असावधानीपूर्वक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए-हालांकि अभियुक्त् ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह दलील नहीं दी है कि वह इस प्रकार से धारा 313 में किये गये परीक्षण से पूर्वागृह ग्रस्त था, न्यायालय इस स्टेज पर इस प्रकार की दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं।

रमाशंकर सिंह और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एआईआर (1962) एससी 1239, बलिन्दर सिंह उर्फ राजू बनाम पंजाब राज्य एआईआर (1994) 1 एससीसी 726, महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह और अन्य (1992) 3 एससीसी 700 और लल्लू मांझी और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2003) 2 एससीसी 401, पर निर्भर।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 1331/2003

पटना उच्च न्यायालय के सी.आर.एल.ए. नंबर 589/1987 के निर्णय व आदेश दिनांक 01.08.2002 से उत्पन्न।

अपीलार्थी की ओर से उपेन्द्र मिश्रा और कन्हैया प्रियदर्शी

प्रतिवादी की ओर से बी.बी. सिंह और कुमार राजेश सिंह

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :-

एकमात्र अपीलार्थी के साथ 6 अन्य अभियुक्तगण का विचारण किया गया और सेशन न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं एक अन्य को हत्या के अपराध धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध किया गया। दोनों दोषसिद्ध व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गयी। उच्च न्यायालय द्वारा एक को दोषमुक्त किया गया एवं वर्तमान अपीलार्थी को धारा 304 में दोषसिद्ध पाया जाकर 7 साल का कारावास से दोषसिद्ध किया गया।

घटना दिनांक 17.11.1974 को घटित हुई। मृतक बैजनाथ सिंह जो पी.डब्लु 1 लाल देव सिंह का पुत्र था, केले के पत्ते काट रहा था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी अन्य सहअभियुक्त के साथ घटना स्थल पर गया और वर्तमान अपीलार्थी साथ में भाला लेकर आया। अभियुक्तगण द्वारा बैजनाथ से यह पूछा गया कि केले के पत्ते अभियुक्त के घर के पास क्यों रख रहा है। मृतक द्वारा जवाब दिया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा मृतक बैजनाथ सिंह के पेट में भाला घोंप दिया गया। इसी बीच पी.डब्लु 1, पी.डब्लु 2 और अन्य घटना स्थल पर पहुंचे। पी.डब्लु 2 पर भी अभियुक्तगण में से किसी एक द्वारा हमला किया गया। पीड़ित बैजनाथ को अस्पताल ले जाया गया जहां उसने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। पी.डब्लु 1 द्वारा बाद में पुलिस को सूचना दी गयी और अभियुक्त के विरूद्ध मामला

दर्ज किया गया।

सेशन न्यायालय में 16 गवाहों को परीक्षित किया गया। पी.डब्लु 1, 2, 3 और 8 चक्षुदर्शी साक्षी थे। पी.डब्लु 1 मृतक के पिता ने यह बताया कि जब उसका बेटा केले के पत्ते काट रहा था तब वहां पर अभियुक्त आया और मृतक के साथ झगड़ा करने लग गया और उसने देखा कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा उसके बेटे के पेट में भाला मार दिया गया। पी.डब्लु 2 जो पी.डब्लु 1 भाई था, भी घटना स्थल पर आया और उसने अपीलार्थी द्वारा मृतक को चोट पहुंचाते हुये देखा।

अपीलकर्ता के वकील ने यह दलील दी कि पी.डब्लु 1 और पी.डब्लु 2 के साक्ष्यों में कई विरोधाभाष है। हम यह नहीं मानते है कि अपीलार्थी के वकील द्वारा बताये गये विरोधाभाष इतने पर्याप्त है कि साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए, खासकर जब इन दोनों गवाहों की उपस्थिति संदेहास्पद नहीं है। पी.डब्लु 2 के चेहरे पर चोट आई है और पी.डब्लु 3 व पी.डब्लु 8 जो घर पर थे और घटना के समय घटना स्थल पर आये। पी.डब्लु 3 ने यह बयान दिया है कि उसने देखा कि उसका बेटा बैजनाथ बागान में काम कर रहा था और अभियोजन साक्ष्य ने यह साबित किया है कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा मृतक को चोट पहुंचाई गयी।

अपीलार्थी के वकील ने यह ध्यान आकृष्ट करवाया कि सेशन न्यायालय द्वारा धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त का उचित रूप से परीक्षण नहीं करके गंभीर त्रुटि कारित की है। हमारा ध्यान अपीलार्थी के कथनों पर आकर्षित हुआ।

अपीलार्थी से केवल 3 प्रश्न पूछे गये। पहले प्रश्न यह पूछा गया कि क्या आप द्वारा गवाहों के बयानों को सुना गया और दूसरा प्रश्न यह पूछा गया कि गवाहों के द्वारा दी गयी साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आप द्वारा मृतक की हत्या की गयी, क्या आपको बचाव में कुछ कहना है। अभियुक्त से धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रश्न बहुत ही असंतोषजनक तरीके से पूछे गये हैं। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त को यह अवसर दिया जाना चाहिए कि उसके विरूद्ध साक्ष्य के माध्यम से जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसका संपूर्ण स्पष्टीकरण दिया जा सके। कम से कम वे विभिन्न साक्ष्य की वस्तुएं जिन्हें अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है उन्हें प्रश्न के रूप में अभियुक्त के समक्ष रखा जाना चाहिए और उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस मुकदमें में अभियुक्त को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया। हम इस प्रथा की निन्दा करते हैं कि समस्त साक्ष्यों जो अभियुक्त के विरूद्ध गयी है उसे केवल एक प्रश्न में उसके समक्ष रखा जाकर उसका स्पष्टीकरण मांगा जावे, ऐसी स्थिति में अभियुक्त तर्कसंगत और बुद्धिमता से स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं होता है। विचारण न्यायालय को अभियुक्त को साक्ष्य में प्रतिकूल परिस्थितियों को समझने का अवसर देने के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए और धारा 313 का परीक्षण केवल औपचारिक रूप से नहीं होना चाहिए। अभियुक्त द्वारा अपनी स्पष्ट प्रतिरक्षा और प्रस्तुत हुई साक्ष्य के विरूद्ध स्पष्टीकरण देने के बाद में ही समस्त साक्ष्यों पर अनुमान लगाया जाना चाहिए। अभियुक्त को इस प्रकार दिया गया अवसर ही निष्पक्ष सुनवाई का हिस्सा है और यदि इसे असावधानीपूर्वक तरीके से पूर्ण किया जाता है तो इसका

परिणाम साक्ष्य का अपूर्ण मूल्यांकन हो सकता है। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त के परीक्षण के महत्व को बल दिया गया है। रमाशंकर सिंह और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एआईआर (1962) एससी 1239, बलिन्दर सिंह उर्फ राजू बनाम पंजाब राज्य एआईआर (1994) 1 एससीसी 726, महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह और अन्य (1992) 3 एससीसी 700 और लल्लू मांझी और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2003) 2 एससीसी 401।

वर्तमान मामले में अपीलार्थी द्वारा धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में किसी भी प्रकार की दलील उच्च न्यायालय में नहीं उठाई की जिस तरह से धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता का परीक्षण हुआ उससे उसे गंभीर पूर्वाग्रह कारित हुआ। यदि धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के दोष के संबंध में उच्च न्यायालय में ध्यान आकृष्ट कराया गया होता तो उच्च न्यायालय मामले की उचित परीक्षण हेतु सेशन न्यायालय को भेज सकता था। इस स्तर पर हम इस तर्क को स्वीकार करने हेतु इच्छुक नहीं है विशेषकर तब जब अभियुक्त यह दर्शित करने में सफल नहीं हुआ कि इस प्रकार की अनियमित प्रक्रिया से किसी भी तरह से वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुआ।

अंत में अपीलकर्ता वकील ने यह तर्क दिया कि सजा के मामले में उदारता बरती जावे। अपीलार्थी को सेशन न्यायालय द्वारा धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा इसे धारा 304 भारतीय दंड संहिता में

बदल दिया गया, बिना यह निर्दिष्ट किये कि क्या यह धारा 304 आईपीसी के भाग एक या भाग दो के अंतर्गत आता है। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य यह दर्शित करती है कि अपीलार्थी द्वारा एक युवा लड़के को क्रूर तरीक से मारा गया है। हम अभियुक्त को दिये गये 7 साल की कारावास की सजा में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। अपील असफल व खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मुकुल गहलोत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।